[2018] 11 एस. सी. आर. 699

जनाबाई

वी.

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य

(2018 की सिविल अपील संख्या 6832)

सितंबर 19,2018

[दीपक मिश्रा, सीजेआई, ए. एम. खानविलकर और

डॉ. डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. जे.]

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958:

एस। 14 (1) (जे-3) और 53-एस के तहत अयोग्यता। 14 (1) (जे-3)-चाहे वह आकर्षित हो, जब अतिक्रमण पति द्वारा किया जाता है और

उम्मीदवार के ससुर और स्वयं उम्मीदवार द्वारा नहीं-आयोजितः एस का विधायी आशय। 14 (1) (जे-3) यह है कि अतिक्रमण को बहुत सख्ती से देखा जाना चाहिए-एस में 'व्यक्ति' शब्द। 14 (1) (जे-3) को संकीर्ण रूप से नहीं माना जाना चाहिए-इसलिए, जब उम्मीदवार साझा करता है

एक अतिक्रमण की गई संपत्ति और निरंतरता है, उसे होना चाहिए

अयोग्य के रूप में माना जाता है-क़ानूनों की व्याख्या-उद्देश्यपूर्ण व्याख्या-विधायी इरादा।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा, पकड़नाः 1. महाराष्ट्र की योजनाबद्ध सराहना पर

ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958, जिसमें इसकी धारा 10,11 और 53 शामिल हैं, यह काफी स्पष्ट है कि सदस्य पंचायत में चुने जाते हैं।

यह देखना कर्तव्य है कि बाधा या अतिक्रमण किसी भी भूमि पर, जो निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि सरकारी है।

भूमि या सार्वजनिक संपत्ति को हटाया जाना चाहिए और मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

इस तरह की बाधा या अतिक्रमण पैदा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ जुर्माना लगाया जाना चाहिए। [पैरा 27] [717-डी-ई]

2. अधिनियम की धारा 14 (1) (जे-3) में उपयोग किए गए 'व्यक्ति' शब्द का इतना संकीर्ण अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए जिसके परिणामस्वरूप

अयोग्यता के संदर्भ में "अतिक्रमण" का मूल मुद्दा पूरी तरह से निरर्थक हो जाता है। विधायी इरादा यह है कि

अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को बहुत अधिक देखा जाना चाहिए। सख्ती से और धारा 53, इसलिए, दैनिक अधिरोपण का प्रावधान करती है

ठीक है। यह पंचायत है जिसे शक्ति प्रदान की गई है

अतिक्रमण हटाने के लिए। यह वैधानिक दायित्व है कि

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

पंचायत का हिस्सा अपनी संपत्तियों के हितों की रक्षा करने के लिए। यदि कोई सदस्य व्यवसाय में रहता है अतिक्रमण की गई संपत्ति में उसके हितों का टकराव होता है। यदि एक व्याख्या रखी जाती है कि यह पहला अतिक्रमणकर्ता है या

अकेले उस व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण जो अयोग्यता का सामना करेगा, यह एक बेतुकेपन की ओर ले जाएगा। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या देते हुए, यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति अतिक्रमण की गई संपत्ति को साझा करता है और वहां रहता है, तो उसे अयोग्य माना जाना चाहिए। इस तरह की व्याख्या प्रावधान के वास्तविक वारंट को कम करती है। [पैरा 29] [718-एच; 719-ए-डी]

सागर पांडुरंग धुंदरे बनाम। केशव आबाब पाटिल और अन्य (2018) 1 एस. सी. सी. 340 ने खारिज कर दिया।

देवीदास सुरवाडे बनाम। आयुक्त, अमरावती 2012 एससीसी

ऑनलाइन बॉम 2126 की पुष्टि की गई।

पार्वतीबाई बनाम। आयुक्त, नागपुर 2015 एससीसी ऑनलाइन

बम 6141; संदीप गणपतराव भादाडे वी।

आयुक्त, अमरावती 2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 8991;

अनीता लक्ष्मण जुंघरे बनाम। कॉम. , अमरावती 2017 एससीसी

ऑनलाइन बॉम 9102-स्वीकृत।

गणेश अरुण चव्हाण बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2012

एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1393; कंचन शिवाजी अतिग्रे बनाम।

महादेव बबन रंजगने 2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन बॉम

1537 ; अभिराम सिंह बनाम। सी. डी. कमाचेन (2017) 2 एस. सी. सी. 629 [2017] 1 एस. सी. आर. 158; जगदेव सिंह सिद्धंती बनाम।

प्रताप सिंह दौला [1964] 6 एससीआर 750; हरि राम बनाम। ज्योति प्रसाद और दूसरा (2011) 2 एस. सी. सी. 682: [2011] 1

एससीआर 1076; शंकर दस्तीदार बनाम। बंजुला दस्तीदार

(2006) 13 एस. सी. सी. 470 [2006] 10 पूरक। एससीआर 101 -

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

(2018) 1 एससीसी 340

खारिज कर दिया गया

पै

रा 5

2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1393

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6

2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 1537

पै

रा 8

संदर्भित किया गया है

2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 2126

पुष्टि की गई

पै

रा 9

2015 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 6141

मंजूरी मिल गई।

पैरा 10 जनबाई बनाम। अतिरिक्त आयुक्त और अन्य

2016 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 8991

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 12

2017 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 9102

मंजूरी मिल गई।

पै

रा 13

[2017] 1 एससीआर 158

संदर्भित किया गया है

पै

रा 15

[1964] 6 एससीआर 750

पै

रा 15

संदर्भित किया गया है

[2011] 1 एससीआर 1076

पै

रा 20

संदर्भित किया गया है

[2006] 10 पूरक। एससीआर 101

संदर्भित किया गया है

पै

रा 20

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील सं. 6832

2018 का

उच्च न्यायालय के 03.05.2017 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2016 की रिट याचिका संख्या 2742 में बॉम्बे, नागपुर पीठ में न्यायिक न्यायालय

हृषिकेश चिताले, मेसर्स। मित्तर एंड मित्तर कंपनी, निशांत

रमाकांतराव कटनेश्वरकर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

दीपक मिश्रा, सीजेआई 1. एकमात्र प्रश्न जो उत्पन्न होता है

इस अपील में विचार के लिए यह है कि क्या नीचे दिए गए मंचों के साथ-साथ उच्च न्यायालय इस आधार पर ग्राम पंचायत कलाम्बा (महली) के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए अपीलकर्ता को अयोग्य ठहराने में उचित है कि 1981 से सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। उसके ससुर और पति और वह उक्त भूमि का उपयोग कर रहे हैं। तथ्य के समवर्ती निष्कर्ष हैं कि ससुर और अपीलार्थी के पति ने सरकारी भूमि पर अतिक्रमण किया है और नोटिस के बावजूद, उन्होंने किसी न किसी बहाने से उसे खाली नहीं किया है। जहाँ तक इन निष्कर्षों का संबंध है, हम इसमें हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं हैं

जैसा कि हमारी सुविचारित राय है कि यह अभिलेख पर सामग्री के समग्र विश्लेषण पर आधारित है।

2. जिस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमें ध्यान देना है वह यह है कि क्या अपीलार्थी

महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1958 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत अयोग्यता का प्रावधान है। अधिनियम की धारा 14 उक्त अयोग्यता से संबंधित है। धारा 14 (1) और 14 (1) (जे-3) का प्रासंगिक भाग निम्नानुसार हैः

" 14. अयोग्यताएँ। - (1) कोई भी व्यक्ति एक का सदस्य नहीं होगा पंचायत इस तरह जारी है, जो [2018] 11 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(ए) से (जे-2)

XXX

XXX

X

XX

अभिलेख पर सामग्री और पाया है कि ग्राम पंचायत के पास था 2012 में याचिकाकर्ता के ससुर को हटाने के लिए नोटिस जारी किया गया

अतिक्रमण। हालाँकि, इसका पालन नहीं किया गया और फिर

फिर से ग्राम पंचायत ने एक और पत्र भेजकर पूछा था

अतिक्रमण हटाने के लिए जिसके लिए श्री काशीराम गायकवाड़

याचिकाकर्ता के पति ने 29 जून, 2012 को स्वीकार करते हुए जवाब दिया।

कि एक अतिक्रमण था और उचित था। याचिकाकर्ता ने

तथ्य के निष्कर्षों में किसी भी विकृति को इंगित करने में सक्षम नहीं है

अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा अभिलिखित। मुझे हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता।

विवादित आदेश के साथ "।

4. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की गंभीर आलोचना की गई है

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील दो मामलों पर, अर्थात्, यह पूरी तरह से संक्षिप्त है और इसके अलावा, प्रावधानों की उचित व्याख्या पर, किसी भी तरह की कल्पना के बिना, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि अपीलार्थी ने एक व्यक्ति के रूप में, सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण किया है।

5. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने इस पर भारी निर्भरता रखी है -

सागर पांडुरंग धुंदरे बनाम मामले में दो न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय। केशव आब पाटिल और अन्य। उक्त मामले में, ऐसा कोई आरोप नहीं था कि अपीलकर्ता अतिक्रमणकारी थे, क्योंकि उनके पिता/दादा ने संपत्ति का अतिक्रमण किया था और वे केवल अतिक्रमण के लाभार्थी थे और अतिक्रमण के लाभार्थी को अधिकारियों द्वारा अतिक्रमणकर्ता माना जाता था। इस न्यायालय की खंड पीठ ने बॉम्बे उच्च न्यायालय के फैसलों का उल्लेख किया। हम पूरी तरह से परिदृश्य की सराहना करने के लिए उसी का उल्लेख करना उचित समझते हैं।

6. गणेश अरुण चव्हाण बनाम। महाराष्ट्र राज्य 2 ने निर्णय लिया

आई. डी. 1 पर याचिकाकर्ता ने यह रुख अपनाया था कि अतिक्रमण उसके पिता ने किया था और घर का निर्माण उसके पिता की आय से किया गया था। उच्च न्यायालय ने उक्त तथ्यात्मक मैट्रिक्स में निम्नलिखित निर्णय दियाः

" 10. अधिनियम में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके द्वारा परिवार की अवधारणा या

जहाँ तक विषय का संबंध है, संयुक्त निवास का आयात किया जा सकता है

1 (2018) 1 एससीसी 340

22012 एस. सी. सी. ऑन लाइन बम 1393 एन. ए. बी. ए. आई. बनाम।

अयोग्यता का संबंध है। उक्त प्रावधान में विचार किया गया है

सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण

व्यक्ति, जैसा कि इस मामले में, जो पंचायत का सदस्य है।

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

एक्स

12. विधायिका ने ध्यान रखा है और जहां भी अवधारणा है

परिवार या संयुक्त निवास लागू किया जाना है, विशिष्ट प्रावधान में

उस ओर से या तो मूल रूप से या एक के माध्यम से किया गया है

स्पष्टीकरण। उदाहरण के लिए, यदि अयोग्यता धारा के तहत है

14 (1) (ज) पंचायत को देय किसी भी कर या शुल्क का भुगतान करने में विफलता के लिए या

जिला परिषद, तो, स्पष्टीकरण 2 के आधार पर, क्या विधायिका ने यह प्रावधान किया है कि किसी भी कर का भुगतान करने में विफलता या

एच. यू. एफ. के किसी सदस्य द्वारा पंचायत या जिला परिषद को देय शुल्क

या किसी समूह से संबंधित व्यक्ति द्वारा, तब, जो माना जाएगा - ऐसे परिवार के सभी सदस्यों को अयोग्य ठहराएँ या जैसा भी मामला हो

समूह या इकाई। समान रूप से खंड 14 (1) (छ) के मामले में जहां

व्यक्ति को किसी भी तरह का ब्याज रखने के लिए अयोग्य कहा जाता है स्वयं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से या अपने भागीदार के माध्यम से, कोई भी हिस्सा या

पंचायत के आदेश से या किसी में किए गए किसी भी काम में रुचि

पंचायत, विधानमंडल ने स्पष्टीकरण आई. ए. द्वारा स्पष्ट किया है कि व्यक्ति को खंड (छ) के तहत केवल इस कारण से अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा कि

ऐसा व्यक्ति जिसका किसी समाचार पत्र में हिस्सा या रुचि हो जिसमें पंचायत के मामलों से संबंधित कोई भी विज्ञापन

सम्मिलित किया गया; या कभी-कभार बिक्री में हिस्सेदारी या ब्याज होना

किसी भी वस्तु की पंचायत जिसमें वह नियमित रूप से व्यापार करता है और

किराए पर देने या किराए पर देने में कभी-कभार हिस्सेदारी या ब्याज

किसी भी वस्तु की पंचायत और समान रूप से कोई भी हिस्सा, हित

किसी भी अचल वस्तु का दस वर्ष से अधिक की अवधि के लिए कोई पट्टा

संपत्ति। इसलिए, एक बार जब स्वयं विधानमंडल ने स्पष्ट किया है कि

अकेले सदस्य का कोई कार्य अयोग्यता को जन्म देता है या आमंत्रित करता है, तो,

व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा खंड में शामिल करना संभव नहीं होगा।

14 (1) (जे-3), उसके परिवार के सदस्यों द्वारा अतिक्रमण का कार्य और

उस उद्देश्य के लिए, निर्वाचित प्रतिनिधि को अयोग्य घोषित करें। यह क्रिया है

चुनाव लड़ने या एक के रूप में कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति का सदस्य जो अकेले ही विचाराधीन प्रावधान को आकर्षित करेगा।

7. यल्लूबाई मारुति में निर्णय का संदर्भ दिया गया है।

ब्ले वी। महाराष्ट्र राज्य 3 जिसमें याचिकाकर्ता चुना गया था2012 का संख्या 8497,5.10.2012 (बॉम) पर तय किया गया

प्रावधान आकर्षित नहीं किया गया था और उसे अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। गणेश अरुण चव्हाण (ऊपर) में निर्णय पर भरोसा करते हुए,टी इस प्रकार आयोजित किया गयाः

" 14. हालाँकि, जब सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण की बात आती है, तो विधानमंडल इस बात से अवगत होता है कि सामान्य रूप से और सामान्य रूप से ऐसा अधिनियम "दूसरे के अधिकारों या कब्जे पर लाभ प्राप्त कर रहा है"। वह एक व्यक्ति या एक समेकित कार्य हो सकता है। इस प्रकार, यह या तो स्वयं या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से कार्य करने की परिकल्पना करता है। इसलिए, भागीदारी की सीमा और उसमें एक व्यक्ति की भूमिका महत्वपूर्ण और महत्वपूर्ण है। यह किसी भूमि पर प्रवेश करने और वहाँ रहने, उस पर कब्जा करने और उस पर कब्जा करने या उस पर निर्माण करने के बराबर हो सकता है। समान रूप से, इसका मतलब सिर्फ स्वामित्व नहीं हो सकता है

एक भूमि लेकिन एक संरचना, भवन, उस पर घर या उसका एक हिस्सा। इसलिए, कौन सा कार्य, जब किया जाता है, जिसके द्वारा समय कारक के साथ सभी प्रासंगिक मामले हैं, अर्थात्, याचिकाकर्ता की शादी से पहले या बाद में। इसलिए, अपने विवेक में यदि विधानमंडल किसी व्यक्ति या सदस्य को केवल तभी अयोग्य ठहराता है जब अधिनियम द्वारा किया गया हो

फिर, यह इस न्यायालय के लिए आगे की जाँच करने के लिए नहीं है। यदि यह गलत काम करने वालों और कानून तोड़ने वालों को बचने का रास्ता प्रदान कर रहा है तो यह सुधारात्मक कदम उठाने के लिए विधानमंडल पर है। यह न्यायालय न तो कानून बना सकता है और न ही कानून में किसी कथित कमी या दोष को भरने के लिए कदम उठा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह मान्यता दी गई है कि यदि कोई मामला, जिसके लिए प्रावधान वांछनीय हो सकता है, वास्तव में विधानमंडल द्वारा प्रदान नहीं किया गया है, तो कानून में चूक या दोष है ऐसी प्रकृति जिसे किसी विधि द्वारा ठीक या आपूर्ति नहीं किया जा सकता है

निर्माण जो क्रीज को इस्त्री करने के बराबर होता है। (पेट्रोन इंग देखें। कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम सीबीडीटी)। यह सच है कि लोगों के प्रतिनिधियों का चरित्र और आचरण होना चाहिए।

अनुकरणीय बनें और एक उच्च मानक स्थापित करें। अगर वह अनैतिक, अवैध और गलत कार्यों में लिप्त होता है तो वह लोगों का सच्चा प्रतिनिधि नहीं होगा, लेकिन शिकायत की जानी चाहिए। किसी अन्य मंच से पहले "।

8. दो-न्यायाधीशों की पीठ ने इस अधिकार पर भी ध्यान दिया है कि

हन शिवाजी अतिग्रे बनाम। महादेव बबन रंजगनेज़, जिसमें

पूरक (2) एस. सी. सी. 7

एस. सी. सी. ऑन लाइन बम 1537 एन. ए. बी. ए. आई. बनाम।

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]स्क्रैलिफिकेशन अतिक्रमण के आधार पर था। उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रावधान के अनुसार, यह उस व्यक्ति का कार्य है जिसे अनुशासित किया गया है और केवल उसी पर विचार किया जाना है। उच्च न्यायालय ने उस अध्याय में इस प्रकार अभिनिर्धारित कियाः

" 13. ..... इसलिए, यह उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति का कार्य है या जैसा भी मामला हो, स्वयं निर्वाचित सदस्य का कार्य है, जो उन्हें अयोग्य ठहराएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अन्य व्यक्ति अतिक्रमण का कार्य करता है, भले ही वह एक ही परिवार का सदस्य हो, लेकिन इसके परिणाम निर्वाचित प्रतिनिधि या ग्राम का चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति पर पड़ते हैं

पंचायत। भले ही ऐसा व्यक्ति उस परिवार का सदस्य हो

विवाह या अन्यथा, फिर भी, उसे अयोग्य घोषित करने की अनुमति नहीं होगी क्योंकि इससे ग्राम पंचायत में एक रिक्ति पैदा होगी। व्यापक आधार, व्यापक और देना संभव नहीं होगा। स्थानीय स्वशासन की इकाई में जनता का व्यापक प्रतिनिधित्व। भारत के संविधान के भाग IX के संदर्भ में ग्राम पंचायत को स्थानीय स्वशासन की एक इकाई होने की परिकल्पना की गई है। इसलिए, अयोग्यता के संबंध में प्रावधानों को इस तरह से समझना होगा ताकि रिक्तता पैदा न हो या ग्रामीणों के लिए अपना प्रतिनिधि चुनना और ग्राम पंचायत का गठन करना असंभव न हो। यह तब पंचायत के गठन में कठिनाइयाँ और बाधाएँ पैदा करेगा। यदि यह विचाराधीन क़ानून द्वारा समान रूप से अभिप्रेत नहीं है, तो व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा,

मैं ऐसा नहीं कर सकता और प्रावधान में कुछ आयात या सम्मिलित नहीं कर सकता,

जो वहाँ नहीं है। "

9. देवीदास सुरवाडे बनाम। आयुक्त, अमरावती ", एक प्रभाग

उच्च न्यायालय के एच ने एक अलग दृष्टिकोण अपनाया। इसने फैसला सुनाया कि

निर्वाचित व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य द्वारा अतिक्रमण निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा अतिक्रमण में बदल जाएगा। तर्क और कहा गया निर्णय इस प्रकार हैः

" 6. हम पाते हैं कि उक्त को बनाने में एक निश्चित उद्देश्य है

अयोग्यता के प्रावधानों में संशोधन और उद्देश्य यह है कि जो व्यक्ति सरकारी भूमि या सरकारी संपत्ति का अतिक्रमण करता है, वह ग्राम पंचायत का निर्वाचित सदस्य बनकर लोगों का प्रतिनिधित्व करने का कोई दावा नहीं कर सकता है। उक्त संशोधित प्रावधान में व्यक्ति शब्द की व्याख्या ऐसे व्यक्ति के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में की जानी चाहिए, जिसने अतिक्रमण किया है और

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सरकारी भूमि या सरकार पर कब्जा करना जारी रखता है

सम्पत्ति, उसका अभिकर्ता, समनुदेशिती या अंतरिती या जैसा भी मामला हो।

यदि ऐसी व्याख्या उक्त प्रावधान में नहीं की गई है, तो

परिणाम इस अर्थ में बेतुका होगा कि सरकारी भूमि अतिक्रमण जारी रहेगा और कानूनी उत्तराधिकारी या

इस तरह के अतिक्रमण पर असाइनी या हस्तांतरणकर्ता शेष हैं

सरकारी भूमि सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के अधिकार का दावा करेगी। लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय। किसी भी मामले में हमारी सचेत अनुमति नहीं है

बम्बई के उद्देश्य को पराजित करने के लिए इस प्रकार की व्याख्या

ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2006 "।

[जोर दिया गया]

10. यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि एक समान मुद्दा सामने आया

पार्वतीबाई बनाम में एक खंड पीठ के समक्ष विचार। आयुक्त, नागपुर '। एक तर्क दिया गया था कि विचाराधीन सदन याचिकाकर्ता के पिता के नाम पर खड़ा था और उसे अधिनियम की धारा 14 (1) (जे-3) के तहत अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता था। एक तर्क दिया गया था कि अतिक्रमण द्वारा किया जाना चाहिए था निर्वाचित व्यक्ति ताकि अयोग्यता को आकर्षित किया जा सके न कि अतिक्रमण को

परिवार के सदस्य द्वारा बनाया गया। विद्वान एकल न्यायाधीश ने देवीदास सुरवाडे (ऊपर) में खंड पीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता द्वारा उठाया गया तर्क स्वीकार्य नहीं है।

11. यह ध्यान दिया जाए कि उपरोक्त को चुनौती देने वाली एक विशेष अनुमति याचिका

इस न्यायालय द्वारा आदेश को इस प्रकार बताते हुए खारिज कर दिया गया थाः

" हम इस याचिका में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। विशेष अनुमति याचिका

तदनुसार, खारिज किया जाता है। लंबित आवेदन, यदि कोई हो, तो खड़ा है

निकाल दिया। इस न्यायालय द्वारा 15-10-2015 पर दी गई रोक कायम है।

खाली कर दिया "। कानून की उपरोक्त अभिव्यक्ति के साथ, विवाद होना चाहिए

आराम कर दिया गया लेकिन प्रस्ताव का भाग्य, जैसा कि ऐसा लगता है, फीनिक्स की तरह बढ़ गया।

12. संदीप गणपतराव भादाडे बनाम। आयुक्त,

अमरावती ', नीचे के अधिकारियों ने माना था कि निर्वाचित उम्मीदवार एक अतिक्रमणकारी था जो सरकारी भूमि पर कब्जा कर रहा था। उच्च न्यायालय ने अधिनियम की योजना और प्रावधान के उद्देश्य को विस्तार से बताते हुए इस प्रकार निर्णय दियाः

7 2015 एस. सी. सी. ऑन लाइन बम 6141

पार्वतीबाई @शोभा काकडे बनाम। अतिरिक्त आयुक्त, एस. एल. पी. (सी) संख्या 29255

2015 , दिनांकित आदेश 4.1.2016

2016 एस. सी. सी. ऑन लाइन बम 8991 एन. ए. बी. ए. आई. बनाम।

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

" 16. "अतिक्रमण", "अतिक्रमण", "अतिक्रमण" और "अतिक्रमण" शब्दावली के उपरोक्त अर्थ को ध्यान में रखते हुए, जो कोई भी संपत्ति या उसके किसी भी हिस्से में रहता है, जो सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण है, कहा जा सकता है कि उसने उस पर "अतिक्रमण" किया है और एक अतिक्रमणकारी बन जाता है। " अतिक्रमणकारी "। चाहे ऐसा अतिक्रमण दूसरों के साथ संयुक्त रूप से हो और/या व्यक्तिगत रूप से, या तो एक समय में या अलग-अलग समय पर, शायद ही कोई महत्व रखता है क्योंकि उसे हटाया जा सकता है।

और उक्त अधिनियम की धारा 53 के तहत मुकदमा चलाया गया। चाहे कोई व्यक्ति

यह उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) (जे-3) के तहत अयोग्यता को आकर्षित करने की एक वास्तविक परीक्षा बन जाती है। यदि उत्तर सकारात्मक है, तो अयोग्यता का सामना करना पड़ता है। 17. उपरोक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) (जे 3) का प्रावधान उस मामले में भी आकर्षित किया जाता है जहां पंचायत का कोई सदस्य संपत्ति या उसके किसी हिस्से में रहता है, जो सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण है।

यह प्रश्न कि क्या कोई अन्य व्यक्ति या परिवार का कोई सदस्य पहले ही अतिक्रमण कर चुका है, अपना महत्व खो देता है और जैसे ही कोई सदस्य या प्रस्तावित सदस्य इस अधिनियम में शामिल होता है, वह उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) (जे-3) के तहत अयोग्यता के चंगुल से नहीं बच सकता है। तैयार किए गए प्रश्न का उत्तर उसी के अनुसार दिया जाता है।

18. यदि विधानमंडल का इरादा किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण को रोकना है, जिसे धारा 184 के तहत "लोक सेवक" माना जाता है, तो वह उक्त अधिनियम की धारा 180 के तहत उससे जुड़े सभी विशेषाधिकारों का लाभ उठाने का हकदार है।

अधिनियम, क्या यह कहा जा सकता है कि विधानमंडल के ऐसे इरादे को संपत्ति पर कब्जा करने के घुमावदार तरीके को अपनाकर विफल किया जा सकता है, जो सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति पर अतिक्रमण है। जवाब स्पष्ट रूप से दो के लिए नकारात्मक होगा।

मुख्य कारण-(i) प्रत्यक्ष रूप से निषिद्ध अधिनियम को ऐसे निषेध के उद्देश्य और उद्देश्य को विफल करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं किया जा सकता है, और (ii) यह परस्पर विरोधी हितों को बढ़ावा देने या प्रोत्साहित करने के बराबर होगा, जिसके परिणामस्वरूप अनिवार्य रूप से उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) (जे-3) के तहत अयोग्यता होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

13. उसी वर्ष, यानी 2017 में, उच्च न्यायालय ने अनीता लक्ष्मण हरे बनाम. कॉम. , अमरावती 1 0 ने इस प्रकार शासन कियाः

" 6. ..... धारा 14 (1) (जे-3) के तहत अयोग्यता को आकर्षित करने के लिए, इस तरह के मामले में, महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर दिया जाना हैः करता है?

कानूनी प्रतिनिधि या मूल अतिक्रमणकारी के परिवार के सदस्य सरकारी भूमि या संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखते हैं। यदि वह ऐसा करता है, तो वह धारा 14 (1) (जे-3) के तहत अयोग्यता को आकर्षित करता है। ऐसे व्यक्ति के लिए यह कोई जवाब नहीं है कि मूल अतिक्रमण

यह उनके पूर्ववर्ती या परिवार के सदस्य द्वारा किया गया था, न कि स्वयं द्वारा। अगर

कि अतिक्रमण उसके द्वारा जारी है, वह आकर्षित करता है

अयोग्यता। देवीदास सुरवाडे में ऐसा ही हुआ था। द.

मूल अतिक्रमण याचिकाकर्ता के पिता द्वारा किया गया होगा,

लेकिन अपने पिता की मृत्यु के बाद, उन्होंने कब्जा करना जारी रखा

संपत्ति और इस प्रकार धारा 14 (1) की अयोग्यता को आकर्षित किया

(जे-3)। दूसरी ओर, कंचन के मामले में, यह याचिकाकर्ता के ससुर थे, जो अतिक्रमणकर्ता थे; उनका इससे कोई लेना-देना नहीं था। यह राज्य का मामला नहीं था कि वह या तो अपने ससुर के कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में या अपने पति के परिवार के सदस्य के रूप में संपत्ति पर कब्जा करती रही। वास्तव में जोर दिया जा रहा है

निरंतर अतिक्रमण और अतिक्रमण के मूल कार्य पर इतना नहीं। आखिरकार, अतिक्रमण एक बार का कार्य नहीं है। यह एक निरंतर कार्य है। यदि किसी का अतिक्रमण दूसरे द्वारा जारी रखा जाता है, तो वह दूसरा भी उतना ही अतिक्रमणकारी है जितना कि मूल अतिक्रमणकर्ता।

अतिक्रमणकारी "।

14. निर्वाचित पद से हटाने की अवधारणा का विश्लेषण करते हुए,

सागर पांडुरंग धुंडारे (ऊपर) में इस न्यायालय की न्यायपीठ हंसः

“ 11. इस प्रकार, वैधानिक योजना के तहत, एक अतिक्रमणकारी उत्तरदायी है

पंचायत द्वारा बेदखल किया जाए और यदि पंचायत विफल हो जाती है, तो

कलेक्टर को कार्रवाई करनी होगी। अतिक्रमणकारी भी उत्तरदायी है

मुकदमा चलाया गया। अतिक्रमण की निश्चित रूप से निंदा की जानी चाहिए अतिक्रमणकारी को बेदखल कर दिया गया और दंडित किया गया। वांछनीय रूप से, पंचायत में परस्पर विरोधी हितों वाला कोई सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बार जब कोई व्यक्ति लोगों द्वारा चुना जाता है, तो उसे केवल कानून के तहत प्रदान किए गए तरीके से ही अयोग्य ठहराया जा सकता है। भले ही सबसे अच्छे इरादे के साथ, अगर

इरादे की कोई वैधानिक अभिव्यक्ति नहीं है, अदालत नहीं कर सकती है

7 एस. सी. सी. ऑनलाइन बम 9102 एन. ए. बी. ए. आई. बनाम।

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

कानून निर्माता के कथित इरादे को प्राप्त करने के लिए शब्दों की आपूर्ति करें। यह पूरी तरह से कानून निर्माता के दायरे में है

जिसके लिए न्यायालय किसी प्रावधान की व्याख्या कर सकता है ताकि विधायी इरादे को प्राप्त किया जा सके। यह ऐसी स्थिति में है जब इस तरह की व्याख्या अनुमत है, अन्यथा संभव है, जब यह बिल्कुल आवश्यक है, और जहां इरादा स्पष्ट है लेकिन उपयोग किए गए शब्द या तो हैं। अपर्याप्त या अस्पष्ट। यहाँ ऐसी स्थिति नहीं है। अधिनियम में, जहां भी कानून निर्माता परिवार को निर्दिष्ट करना चाहते थे, वे

ऐसा किया है। जैसा कि उच्च न्यायालय के कुछ निर्णयों में धारा 14 (1) (एच) के लिए स्पष्टीकरण 2 में उल्लेख किया गया है, पंचायत या जिला परिषद के किसी सदस्य द्वारा किसी भी कर या शुल्क का भुगतान करने में विफलता

एक हिंदू अविभाजित परिवार (एच. यू. एफ.) या एक व्यक्ति द्वारा समूह का स्पष्ट रूप से परिवार या समूह में दूसरों पर अयोग्यता के रूप में उल्लेख किया गया है। इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब इरादा

विधायिका का एक सदस्य को उसके कार्य के लिए अयोग्य घोषित करना था

परिवार ने विशेष रूप से ऐसा किया है। न्यायालय, व्याख्या की प्रक्रिया में, अपनी राय में जो वांछनीय है उसे निर्धारित नहीं कर सकता है,

यदि उपयोग किए गए शब्दों से, विधायी इरादा अन्यथा है

स्पष्ट है "।

15. यह ध्यान दिया जाए कि अभिराम सिंह बनाम का संदर्भ दिया गया था। सी. डी. माचेन "1 1, जिसमें संविधान पीठ ने

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 का ढोंग,

(संक्षेप में, 1951 का अधिनियम)। 1951 के अधिनियम की धारा 123 (3) से संबंधित संघर्ष, जिससे निपटा गया था

जगदेव सिंह सिद्धांती बनाम में एक अन्य संविधान पीठ द्वारा। प्रताप

एच दौला 1 2 जिसमें न्यायालय ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया थाः

" 25. ..... धारा 123 के खंड (3) द्वारा परिभाषित भ्रष्ट आचरण

प्रतिबद्ध है जब एक अपील या तो वोट करने या रोकने के लिए की जाती है

उसकी भाषा से संबंधित जो धारा 100 के प्रतिबंध को आकर्षित करती है धारा 123 (3) के साथ पढ़ें। इसलिए यह केवल तभी होता है जब मतदाताओं को विशेष भाषा के कारण मतदान करने या न करने के लिए कहा जाता है

उम्मीदवार का कि एक भ्रष्ट अभ्यास माना जा सकता है

प्रतिबद्ध। जहाँ, भाषा के संरक्षण के लिए

7) 2 एस. सी. सी. 629

54) 6 एससीआर 750 = एआईआर 1965 एससी 183 [2018] 11 एससीआर।

मतदाताओं से अपील की जाती है और वादा किया जाता है कि उस भाषा के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाएंगे, यह एक भ्रष्ट प्रथा नहीं होगी।

16. अभिराम में कई अन्य निर्णयों का भी उल्लेख किया गया था।

सिंह (ऊपर)। कुछ पहलुओं, अर्थात् विधायी इतिहास, आई. पी. सी. की धारा 153-ए में निहित प्रावधानों, 1951 अधिनियम की धारा 123 की उप-धारा (3) में संशोधन, शाब्दिक बनाम उद्देश्यपूर्ण व्याख्या और 1951 अधिनियम की धारा 123 (3) की संवैधानिक वैधता का विश्लेषण करते हुए, न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

उप-धारा (3ए) को सम्मिलित करते हुए समकालीन संशोधन अधिनियम की धारा 123 और भारतीय संविधान में धारा 153ए को सम्मिलित करना।

दंड संहिता।

50.2 . इसलिए एक साथ पढ़ें, और चुनावी प्रक्रिया की शुद्धता बनाए रखने और इसे दूषित नहीं करने के लिए, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 123 की उप-धारा (3) को व्यापक रूप से दिया जाना चाहिए।

और उद्देश्यपूर्ण व्याख्या जिससे किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता द्वारा या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी उम्मीदवार की सहमति से निर्वाचक को की गई किसी भी अपील को भ्रष्ट प्रथा के दायरे में लाया जा सके।

या उसके चुनाव एजेंट को वोट देने या वोट देने से बचने के लिए

उस उम्मीदवार के चुनाव की संभावनाओं को आगे बढ़ाना या किसी भी उम्मीदवार के चुनाव को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करना (i) किसी उम्मीदवार या (ii) उसके प्रतिनिधि या (iii) उम्मीदवार या (iv) निर्वाचक की सहमति से अपील करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय या भाषा का आधार।

17. टी. एस. ठाकुर, सी. जे., मदन बी. लोकुर, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत थे और डी. वाई. चंद्रचूड़, जे. द्वारा व्यक्त किए गए विचार से सहमत नहीं थे। विद्वान मुख्य न्यायाधीश ने अपनी सहमति वाली राय में कहाः

" इस प्रकार इस प्रस्ताव के लिए पर्याप्त अधिकार है कि एक विधायी प्रावधान की व्याख्या करते समय, न्यायालयों को जीवित रहना चाहिए।

संवैधानिक प्रावधानों और लोकाचार के लिए और ऐसी व्याख्याएँ जो ऐसे प्रावधानों और लोकाचार के अनुरूप हों, उन्हें दूसरों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उस सिद्धांत को हाथ में मामले में लागू करते हुए, एक

व्याख्या जिसका धर्म को हटाने का प्रभाव होगा या NABAI v।

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

राज्य या राज्य गतिविधि के धर्मनिरपेक्ष चरित्र से धार्मिक विचारों को एक ऐसी व्याख्या के बजाय प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो इस तरह के विचारों को ऐसी गतिविधियों में प्रवेश करने, प्रभावित करने या प्रभावित करने की अनुमति दे। चुनावी प्रक्रियाएं निस्संदेह राज्य की धर्मनिरपेक्ष गतिविधियाँ हैं। ऐसी गतिविधियों में धर्म का कोई स्थान नहीं हो सकता है क्योंकि धर्म व्यक्ति के लिए एक व्यक्तिगत मामला है जिससे न तो राज्य का और न ही किसी अन्य व्यक्ति का कोई लेना-देना है। मनुष्य और ईश्वर के बीच संबंध और सर्वशक्तिमान के साथ जुड़ने के लिए मनुष्य जो साधन अपनाते हैं, वे व्यक्तिगत प्राथमिकताओं और विकल्पों के मामले हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार एक नागरिक जिस धार्मिक विश्वास से संबंधित है, उसका पालन करने, उसे स्वीकार करने और प्रचार करने के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की अनुमति देना राज्य का दायित्व है, लेकिन इस तरह की गारंटी की गई स्वतंत्रता का धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों से कोई लेना-देना नहीं है जो राज्य करता है। राज्य धारा 123 (3) के संदर्भ में विधायी निकायों के चुनावों की धर्मनिरपेक्ष गतिविधि के साथ धर्मों और धार्मिक मान्यताओं के हस्तक्षेप को प्रतिबंधित कर सकता है।

18. एस. ए. बोबडे, जे. ने अपनी सहमति में इस प्रकार व्यक्त कियाः

" यह तय कानून है कि कानूनों की व्याख्या करते समय, जहां भी भाषा स्पष्ट हो, विधायिका का इरादा उपयोग की गई भाषा और बाहरी स्रोतों से समर्थन से एकत्र किया जाना चाहिए। इससे बचना चाहिए। मेरा विचार है कि अधिनियम की धारा 123 (3) में उपयोग की गई भाषा में मतदाता को शामिल करने का इरादा है और सर्वनाम "उसका" उम्मीदवार, उसके चुनाव एजेंट आदि के अलावा मतदाता को संदर्भित करता है। इसके अलावा क्योंकि इरादा और उद्देश्य

कानून का उद्देश्य धर्म के आधार पर मतों की अपील को रोकना है। मैं इसे एक अनुचित सिकुड़न मानता हूं कि यह केवल उस उम्मीदवार के धर्म का उल्लेख करने वाली अपील है जिसने

अपील निषिद्ध है न कि एक अपील जो मतदाता के धर्म को संदर्भित करती है। यह काफी कल्पना की जा सकती है कि एक उम्मीदवार धर्म के आधार पर अपील करता है लेकिन अपने धर्म के किसी भी संदर्भ को छोड़ देता है और केवल मतदाता के धर्म का उल्लेख करता है। उदाहरण के लिए, जहां कोई उम्मीदवार या उसका चुनाव एजेंट, एक मतदाता से अपील करता है कि विरोधी उम्मीदवार किसी विशेष धर्म या जाति से संबंधित नहीं है या कोई भाषा नहीं बोलता है, इस प्रकार दर्शकों (इच्छित मतदाता) के धर्म, जाति या भाषा के बीच अंतर पर जोर दिया जाता है। भाषा, उस उम्मीदवार का उल्लेख किए बिना जिसकी ओर से

अपील की जाती है, और जो दर्शकों के धर्म के अनुरूप हो सकता है, [2018] 11 एस. सी. आर.

जाति या उनकी भाषा बोलने पर प्रावधान आकर्षित होता है। इसलिए मैं जो व्याख्या का सुझाव देता हूं, वह हितकर है और किसी भी सांप्रदायिक जाति या भाषा आधारित अपील के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ती है और प्रावधान के इरादे को सामने लाने के लिए सबसे उपयुक्त है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पाठ और प्रासंगिक व्याख्या पर खंड दोनों में से किसी एक के संदर्भ को प्रतिबंधित करता है "।

19. यह बहुमत की राय होने के कारण, हमने उसी पर ध्यान केंद्रित किया है। सागर पांडुरंग धुंडारे के मामले में दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने उक्त निर्णय को इस प्रकार रखते हुए अलग किया गयाः

" अभिराम सिंह बनाम। सी. डी. कमाचेन (डी) एल. आर. एस. और अन्य इस न्यायालय का एक हालिया संविधान पीठ का फैसला है जो भ्रष्ट प्रथाओं से संबंधित है। उम्मीदवारों और मतदाताओं के धर्म, नस्ल, जाति, समुदाय, भाषा आदि के आधार पर अपील करना और तदनुसार मतों का प्रचार करना एक भ्रष्ट प्रथा मानी गई है। न्यायालय ने ऐसा अभिनिर्धारित करने के लिए एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्यात्मक प्रक्रिया को अपनाया जिसमें यह घोषणा की गई कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 इस संदर्भ में उम्मीदवार केंद्रित होने के बजाय मतदाता केंद्रित होने की व्याख्या की जानी चाहिए। वर्तमान में ऐसी स्थिति नहीं है।

मामला। अपीलार्थियों को लोगों द्वारा पंचायत के लिए चुना गया था। ऐसा कोई मामला नहीं है कि वे सार्वजनिक संपत्ति पर मूल अतिक्रमणकारी हैं। और यह वह मामला नहीं है जहां अतिक्रमण के कथित कार्य ने लोगों की इच्छा को प्रभावित किया है, अभिराम सिंह (ऊपर) के अनुसार, अदालत को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या प्राप्त करने के प्रयास में उचित ठहराया गया होगा।

प्रशंसनीय वस्तु "।

20. इसने हरि राम बनाम में भी निर्णय को अलग किया। ज्योति प्रसाद और अन्य 1 3। उक्त निर्णय में, विचार के लिए जो मुद्दा उठा वह यह था कि क्या प्रतिवादियों ने अवैध अतिक्रमण के माध्यम से सार्वजनिक सड़क पर अवैध/अनधिकृत निर्माण किया था। न्यायालय ने सीमा से संबंधित मुद्दे को संबोधित किया और सीमा अधिनियम, 1963 की धारा 22 को संदर्भित किया, जो निरंतर उल्लंघनों और अत्याचारों से संबंधित है। इस संदर्भ में, न्यायालय ने शंकर दस्तीदार बनाम पर भरोसा रखते हुए। बंजुल दस्तीदार 1 4 ने अभिनिर्धारित किया कि मुकदमा सीमितता से वर्जित नहीं था और अंततः, अपील में कोई सार नहीं मिला और उसे लागत के साथ खारिज कर दिया और अपीलार्थी को निर्णय की तारीख से साठ दिनों के भीतर अनधिकृत अतिक्रमण को हटाने का निर्देश दिया। द.

13 (2011) 2 एस. सी. सी. 682

14 (2006) 13 एस. सी. सी. 470 जनबाई बनाम

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

दो-न्यायाधीश पीठ ने उक्त निर्णय को अलग करते हुए कहा कि यह अयोग्यता से संबंधित क़ानून की व्याख्या से संबंधित नहीं है। सच कहें तो उक्त निर्णय का व्याख्या से कोई लेना-देना नहीं है।

21. आगे बढ़ते हुए, सागर पांडुरंग धुंडारे मामले में अदालत

राय दी किः

" 14. जैसा कि हम पहले ही ऊपर उल्लेख कर चुके हैं, न्यायालय का कर्तव्य नहीं है

जो अपनी राय में वांछनीय है उसे निर्धारित करना। इसका कर्तव्य है कि

बता दें कि क़ानून में उपयोग की गई अभिव्यक्तियों से क्या स्पष्ट है। अदालत यह देखने के लिए भी कुछ हद तक जा सकती है कि क्या समझने योग्य है, लेकिन अदालत के अनुसार कुछ वांछनीय निर्धारित करने की हद तक नहीं, अगर विधायी इरादा अन्यथा स्पष्ट नहीं है। जो वांछनीय है वह कानून निर्माता का अधिकार क्षेत्र है और केवल

जो स्पष्ट है वह अदालत का है।

और फिर सेः "
16. यदि अपीलार्थी ऊपर उल्लिखित तीन स्थितियों में से किसी से पीड़ित हैं, तो उन्हें अयोग्य ठहराया जाएगा। बाकी राज्य के लिए है।

उचित संशोधन के माध्यम से स्पष्ट करने के लिए यदि वे वास्तव में और वास्तव में व्यक्तियों को रोकने के प्रशंसनीय उद्देश्य को प्राप्त करना चाहते हैं

सदस्य बनने या बने रहने के परस्पर विरोधी हितों के साथ पंचायत से। परस्पर विरोधी हितों की सीमा भी इसके लिए है

विधानमंडल को निर्दिष्ट करना है "।
22. अगर हम सागर पांडुरंग में बताए गए सिद्धांत का पालन करें

निस्संदेह, अपील की अनुमति दी जानी चाहिए और विवादित निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। यहाँ यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि सागर पांडुरंग धुंडारे में अनुभाग का संदर्भ दिया गया है।

53 (1) , (2) और (2-ए)। पूर्णता के लिए, उक्त प्रावधान को पुनः प्रस्तुत करना लाभदायक हैः

" 53. सार्वजनिक सड़कों पर बाधाएं और अतिक्रमण

और साइटों को खोलें। - (1) जो कोई भी, गाँव के गाओथन क्षेत्र की सीमा के भीतर,

(क) किसी भी दीवार, या किसी बाड़, रेल, चौकी, स्टाल, बरामदे का निर्माण या स्थापना,

प्लैटफॉर्म, प्लिंथ, स्टेप या स्ट्रक्चर या चीज़ या कोई अन्य

अतिक्रमण या बाधा, या
(ख) जमा, या रखे जाने या जमा किए जाने का कारण, कोई बॉक्स, गांठ,

पैकेज या माल या कोई अन्य चीज़, या [2018] 11 एस. सी. आर.

चीज़। किसी सार्वजनिक सड़क या स्थान में या उसके ऊपर, या ऐसी सड़क या स्थान पर किसी खुली नाली, नाली, सीवर या जलसेतु में या उसके ऊपर, या किसी भी शर्त का उल्लंघन करता है, जिसके अधीन रहते हुए उपरोक्त कोई अनुमति दी जाती है या ऐसे किसी अनुमान या खेती के संबंध में किए गए किसी उपविधि के प्रावधान या किसी चराई भूमि का कोई अनधिकृत उपयोग करता है, जो निजी संपत्ति नहीं है।

दोषसिद्धि, जुर्माने से दंडित किया जाए, जो पचास रुपये तक हो सकता है और आगे जुर्माना जो प्रत्येक के लिए पांच रुपये तक हो सकता है जिस दिन इस तरह की बाधा, जमा, प्रक्षेपण, खेती या अनधिकृत उपयोग ऐसे अपराध के लिए पहली सजा की तारीख के बाद भी जारी रहता है।

अनाधिकृत रूप से चराई भूमि या किसी अन्य भूमि पर खेती की जाती है, जो निजी संपत्ति नहीं है, और किसी भी खुले स्थल में समान प्रकृति के किसी भी अनधिकृत अवरोध या अतिक्रमण को हटाने के लिए समान शक्ति होगी, जो निजी संपत्ति नहीं है, चाहे वह स्थान पंचायत में निहित हो या नहीं, बशर्ते कि यदि साइट कलेक्टर या किसी अधिकारी की अनुमति से सरकार में निहित हो। इस संबंध में उसके द्वारा प्राधिकृत पहले प्राप्त किया गया होगा। इस तरह के निष्कासन का खर्च उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा जिसने उक्त बाधा या अतिक्रमण किया है और

अध्याय IX के तहत वसूली योग्य किसी भी कर के कारण दावा की गई राशि के रूप में उसी तरह से वसूली योग्य।

पंचायत का यह कर्तव्य होगा कि वह उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए, इस तरह की बाधा या अतिक्रमण को ध्यान में आने या उसके ध्यान में लाए जाने के तुरंत बाद हटा दे।

(2 - क) यदि कोई पंचायत उप-धारा (2) के तहत कार्रवाई करने में विफल रहती है,

कलेक्टर स्वतः या इस संबंध में किए गए आवेदन पर उस उप-धारा में दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्रवाई कर सकता है और इसकी रिपोर्ट आयुक्त को प्रस्तुत कर सकता है। इस तरह के निष्कासन का खर्च उस व्यक्ति द्वारा भुगतान किया जाएगा जिसने उक्त बाधा या एन. ए. बी. ए. आई. v.

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

फसल का अतिक्रमण या अनधिकृत खेती और भूमि राजस्व के बकाया के रूप में ऐसे व्यक्ति से वसूली योग्य होगी। (3) उप-धारा (2) या उप-धारा (2 ए) के तहत शक्ति का प्रयोग किसी भी बाधा, अतिक्रमण या अतिक्रमण के संबंध में किया जा सकता है।

आयुक्त और आयुक्त, ऐसी जांच करने के बाद जो वह आवश्यक समझते हैं, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद ऐसे आदेश पारित करेंगे जो वह आवश्यक समझते हैं। (3 - बी) उप-धारा (2 ए) या (3) के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया गया कोई भी आदेश उप-धारा (2 ए) या (3) के प्रावधानों के अनुसार अपील और संशोधन के अधीन होगा।

महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 (माह। 1960 का XLI)।

(4) जो कोई भी, उस ओर से विधिवत अधिकृत नहीं होने के कारण, किसी खुले स्थल से या उस पर, जो निजी संपत्ति नहीं है, मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री को हटा देता है, या कोई अतिक्रमण करता है, वह

दोषसिद्धि, जुर्माने से दंडित किया जाए जो पचास रुपये तक हो सकता है, और अतिक्रमण के मामले में, अतिरिक्त जुर्माने के साथ, जो हर दिन के लिए पांच रुपये तक हो सकता है जिस पर पहली सजा की तारीख के बाद भी अतिक्रमण जारी रहता है।

23. उक्त प्रावधान की व्याख्या करते हुए दोनों न्यायाधीशों की पीठ ने राय दी है

" 15. उद्देश्यों और कारणों के बयानों से

2006 में पेश किए गए संशोधन में यह देखा गया है कि इसका उद्देश्य "उस व्यक्ति को अयोग्य घोषित करना था जिसने सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण किया है, पंचायत का सदस्य बनने से या इस तरह बने रहने से"। जिस व्यक्ति ने सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति का अतिक्रमण किया है, जैसा कि अब कानून है, [2018] 11 एस. सी. आर.

अयोग्यता के उद्देश्य से, केवल वही व्यक्ति हो सकता है, जिसने वास्तव में पहली बार अतिक्रमण किया है। हालांकि, अधिनियम की धारा 53 (1) को देखते हुए, यदि किसी सदस्य को अतिक्रमण के लिए दंडित किया गया है, तो उसे बर्खास्त कर दिया जाएगा। इसी तरह, एक सदस्य जिसके खिलाफ धारा 53 (2) या (2 ए) के तहत बेदखली का अंतिम आदेश है, वह भी सदस्य के रूप में बने रहने का हकदार नहीं होगा।

सदस्य "। 24.
जैसा कि हम उपरोक्त अनुच्छेद से समझते हैं, दोनों-न्यायाधीश

व्यक्ति वह है जिसने वास्तव में पहली बार सरकारी या सार्वजनिक भूमि का अतिक्रमण किया है। देवीदास सुरवाडे (ऊपर) में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उद्देश्यों और कारणों के विवरण पर भरोसा करते हुए और 'व्यक्ति' शब्द पर जोर देते हुए कहा कि अतिक्रमणकर्ता के कानूनी उत्तराधिकारी जो सरकारी भूमि या सरकारी संपत्ति पर कब्जा करना जारी रखते हैं, उन्हें अतिक्रमणकारियों के रूप में माना जाना चाहिए। इसमें है। यह माना गया कि यदि इस तरह की व्याख्या को नहीं अपनाया जाता है, तो परिणाम बेतुका होगा, क्योंकि सरकारी भूमि का अतिक्रमण जारी रहेगा

और अतिक्रमण की गई सरकारी भूमि पर शेष कानूनी उत्तराधिकारी या समनुदेशित या हस्तांतरणकर्ता लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के अधिकार का दावा करेंगे। बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के अनुसार, इस तरह की व्याख्या बॉम्बे ग्राम पंचायत (संशोधन) अधिनियम, 2006 के उद्देश्य को विफल कर देगी।

25. सबसे पहले, हम खुद को याद दिलाने के लिए बाध्य हैं कि देवीदास सुरवाडे (ऊपर) में बॉम्बे उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को इस न्यायालय द्वारा विशेष अनुमति याचिका में पुष्टि की गई है। यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि इस न्यायालय ने विशेष अनुमति याचिका को खारिज करते हुए,

यह पाया गया कि याचिका में कोई योग्यता नहीं पाई गई है। इस तरह का आदेश एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती के समान होगा या नहीं, यह अलग मामला है। 26. हम यहाँ जल्दबाजी में यह जोड़ सकते हैं कि हम उक्त मार्ग पर जाने का इरादा नहीं रखते हैं। हम प्रावधान का विश्लेषण करना, समझना उचित समझते हैं।

उद्देश्य और प्रासंगिक प्रासंगिकता और जमीनी स्तर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि में प्रावधान की प्रकृति की सराहना करना।

जड़ स्तर। यह कहने के बाद, अब हम वैधानिक योजना का विश्लेषण करेंगे। धारा 53 जो अध्याय III में आती है, बाधा से संबंधित है और

सार्वजनिक सड़कों और स्थलों पर अतिक्रमण। यह पंचायत को इस तरह की बाधा या अतिक्रमण को हटाने या किसी भी अनधिकृत रूप से खेती की गई चराई भूमि या किसी अन्य भूमि को हटाने की शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा, यह पंचायत को किसी निजी स्थल में या उस पर समान प्रकृति की किसी भी अनधिकृत बाधा या अतिक्रमण को हटाने का भी अधिकार देता है।

संपत्ति। निजी संपत्ति और सार्वजनिक संपत्ति के बीच अंतर किया गया है। इसने पंचायत के पास निहित संपत्ति की भी रक्षा की है। यदि पंचायत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बाधा या अतिक्रमण को उसके संज्ञान में लाए जाने के बाद उसे हटाने की अपनी जिम्मेदारी का पालन नहीं करती है, तो उच्चतर

अधिकारी, अर्थात् कलेक्टर और आयुक्त को हटाने की शक्ति प्रदान की गई है। अपराध करने पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है।

27. धारा 10,11 और 53 सहित अधिनियम की योजनाबद्ध सराहना पर, यह काफी स्पष्ट है कि पंचायत में चुने गए सदस्य हैं -

यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि किसी भी भूमि पर बाधा या अतिक्रमण, जो निजी संपत्ति नहीं है, बल्कि सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति है, को हटा दिया जाना चाहिए और ऐसी बाधा या अतिक्रमण पैदा करने वाले व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

28. अधिनियम की धारा 184 में प्रावधान है कि प्रत्येक सदस्य

पंचायत और पंचायत द्वारा अनुरक्षित या उसके अधीन नियोजित प्रत्येक अधिकारी और सेवक को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के प्रयोजन के लिए लोक सेवक माना जाएगा। विभिन्न प्रावधानों का विश्लेषण करते हुए, संदीप गणपतराव भादाडे (ऊपर) में विद्वान एकल न्यायाधीश ने राय दी है:

" 11. यह कानून के उपरोक्त प्रावधानों की पृष्ठभूमि में है कि मतदान करने, चुनाव लड़ने और पंचायत के सदस्य के रूप में बने रहने के लिए योग्यता और अयोग्यता के प्रावधानों पर विचार किया जाना आवश्यक है। उक्त अधिनियम की धारा 13 मतदान करने और निर्वाचित होने के योग्य व्यक्तियों से संबंधित है। उक्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत किसी भी अयोग्यता का सामना करने वाले व्यक्ति न तो हैं

वोट देने के लिए योग्य और न ही पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए। धारा 14 विभिन्न प्रकार की अयोग्यताओं से संबंधित है, जैसे उप-धारा (1) के तहत खंड (ए) से (के) में निर्धारित, जो दो प्रकार के व्यक्तियों के खिलाफ काम करता है- (i) जो [2018] 11 एस. सी. आर. बनने का प्रस्ताव रखता है।

एक पंचायत का सदस्य, और (ii) जो एक का सदस्य बन गया है

अयोग्यता, तब उसे पंचायत का सदस्य बनने से प्रतिबंधित किया जाता है, और यदि वह पंचायत का सदस्य बन जाता है, तो वह इस रूप में बने रहने का हकदार नहीं है। अयोग्यता के तहत धारा 14 उन कार्यों, घटनाओं, कार्यों, कुकर्मों, लेन-देनों आदि के संबंध में है जो नहीं किए गए हैं, नहीं हुए हैं या नहीं हुए हैं।

पंचायत के सदस्य के रूप में कार्यालय में प्रवेश करने से पहले

साथ ही जो एक सदस्य के रूप में निरंतरता के दौरान होते हैं

एक पंचायत का "।

" 13. उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) (जे-3) के तहत अयोग्यता के प्रावधान को लागू करने का उद्देश्य अतिक्रमण करने वाले व्यक्तियों को प्रतिबंधित करके हितों के टकराव से बचना है। पंचायत के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने या बने रहने के लिए सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति, जो ग्रामीणों का लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित निकाय है। यह मानना समझ से परे है कि

कानूनी दायित्व या रक्षा करने के कर्तव्य के तहत एक व्यक्ति

अतिक्रमण से सरकारी भूमि या सार्वजनिक संपत्ति, इस तरह के अतिक्रमण का कार्य करती है। अनुमति देने के लिए व्यक्ति, जो प्रस्ताव करता है

सदस्य बनना या सार्वजनिक संपत्ति के लिए सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के लिए पंचायत का सदस्य बनना, अनैतिक होगा, वैधानिक कर्तव्य का उल्लंघन करते हुए कार्य करना, धारा 53 की उप-धारा (1) और (4) के तहत अभियोजन के लिए खुद को उजागर करना, जिसके परिणामस्वरूप अंततः धारा 180 के तहत संरक्षण खो दिया जाएगा।

उक्त अधिनियम की धारा 184 के साथ। यह इस संदर्भ में है कि उक्त अधिनियम की धारा 14 (1) (जे-3) के तहत अयोग्यता का पाठ इसका विश्लेषण और व्याख्या करने की आवश्यकता है।

देवीदास सुरवाडे (ऊपर) के मामले में, यह स्पष्ट रूप से कहा गया है, पहले देखा गया है, कि 'व्यक्ति' शब्द में कानूनी उत्तराधिकारी शामिल होने चाहिए, यदि -

अतिक्रमणकर्ता जो सरकारी भूमि पर कब्जा करना जारी रखते हैं।

अतिक्रमण और निरंतर अतिक्रमण पर रोक लगा दी गई है। उक्त खंड पीठ का निर्णय, विद्वान एकल न्यायाधीशों की संख्या

निर्णय पर ध्यान दिए बिना एक अलग दृष्टिकोण अपनाया जो

न्यायिक अनुशासन स्थापित करें।

29. हम यहाँ लाभ के साथ इस बात पर ध्यान दे सकते हैं कि धारा 14 (1) (जे-3) में प्रयुक्त 'व्यक्ति' शब्द का जनबाई v के परिणामस्वरूप इतना संकीर्ण अर्थ नहीं लगाया जाना चाहिए।

अतिरिक्त आयुक्त और अन्य [दीपक मिश्रा, सीजेआई]

जिसके संदर्भ में "अतिक्रमण" का मूल मुद्दा

अयोग्यता पूरी तरह से अनावश्यक हो जाती है। जैसा कि हम समझते हैं, विधायी इरादा यह है कि अतिक्रमण या अनधिकृत कब्जे को बहुत सख्ती से देखा जाना चाहिए और इसलिए धारा 53 में दैनिक जुर्माने का प्रावधान है। यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि यह पंचायत ही है जिसे अतिक्रमण हटाने की शक्ति प्रदान की गई है। पंचायत की ओर से यह वैधानिक दायित्व है कि वह अपनी संपत्तियों के हितों की रक्षा करे। यदि कोई सदस्य किसी अतिक्रमण की गई संपत्ति पर कब्जा रखता है, तो उसके हितों का टकराव होता है। यदि एक व्याख्या रखी जाती है कि यह पहला अतिक्रमणकर्ता या अकेले व्यक्ति द्वारा किया गया अतिक्रमण है जिसे अयोग्यता का सामना करना पड़ेगा, तो यह एक बेतुकी बात होगी। उद्देश्यपूर्ण व्याख्या की अवधारणा हमें यह मानने के लिए प्रेरित करेगी कि जब कोई व्यक्ति वहां रहकर अतिक्रमण की गई संपत्ति को साझा करता है और वहाँ निरंतरता होती है, तो उसे अयोग्य माना जाना चाहिए। इस तरह की व्याख्या प्रावधान के वास्तविक वारंट को कम करती है। इस प्रकार विश्लेषण किए जाने पर, हमारा विचार है कि सागर पांडुरंग धुंदरे (ऊपर) में निर्णय कानून की सही स्थिति को निर्धारित नहीं करता है और तदनुसार, इसे खारिज कर दिया जाता है।

30. उपरोक्त विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए, हम अपील में कोई सार नहीं पाते हैं और उसी के अनुसार खारिज कर दिया जाता है। वहाँ होगा

लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

याचिका खारिज कर दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी